अति आवश्यक
तत्काल
समय-सीमा

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
जल भवन, बाणगंगा, भोपाल

क्रमांक 15961/विधि/प्र.अ./लोस्वायांवि./2023 भोपाल, दिनांक 22/12/2023

प्रति,

(1) समस्त मुख्य अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
परिक्षेत्र ——————
वि./यां. परिक्षेत्र——————

(2) समस्त अधीक्षण यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंडल/परियोजना मंडल ——————

(3) समस्त कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
खंड ——————

विषय :– **दैनिक वेतन भोगी सेवा में नियोजित किये गये ऐसे कर्मचारी जिनका नियोजन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये नियुक्ति आदेश के बिना एवं स्पष्ट रिक्त पद के बिना हुआ है, को, कार्यभारित/नियमित सेवा में नियमितीकरण के लाभ की पात्रता नहीं होने विषयक।**

संदर्भ :– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस.एल.पी.(सिविल) कमांक 10519/2020 में पारित निर्णय दिनांक 08.02.2023 एवं माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रिट अपील कमांक 20/2020 में पारित निर्णय दिनांक 13.02.2020 (प्रतिलिपि संलग्न)।

00

कृपया माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा संदर्भित प्रकरणों में पारित आदेशों का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से माननीय न्यायालयों द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि दैनिक वेतन भोगी सेवा में नियोजित किये गये ऐसे कर्मचारी जिनका नियोजन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये नियुक्ति आदेश के बिना एवं स्पष्ट रिक्त पद के बिना हुआ है, कार्यभारित/नियमित सेवा में नियमितीकरण का लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं है।

उपरोक्त निर्णय विभाग के लिये अत्याधिक महत्वपूर्ण है तथा यह विभाग के विभिन्न परिक्षेत्रों के अंतर्गत वर्तमान में विचाराधीन न्यायालयीन प्रकरणों में अथवा विभाग की ओर दायर होने वाली रिट अपील अथवा एस.एल.पी.में से शासन की ओर से प्रभावी प्रतिरक्षण में उपयोगी साबित हो सकता है।

इस कार्यालय में परीक्षण के उपरांत प्रथम दृष्टया यह पाया गया है कि कुछ प्रकरणों में यह निर्णय उपयोगी साबित हो सकता है तथा इन प्रकरणों में अनिवार्य रूप से उक्त निर्णय शासकीय अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये जाते हैं :–

(1) <u>ग्वालियर परिक्षेत्र ग्वालियर</u>

(अ) माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के समक्ष विचाराधीन "आरती सक्सेना" प्रकरण (रिट पिटीशन कमांक 2387/2023) जिसमें त्रुटिपूर्ण वेतनवृद्धि के लाभ के आधार पर कर्मचारी द्वारा संपूर्ण नियमितीकरण की मांग की है।

24/XII

(ब) माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस.एल.पी. (सिविल) क्रमांक 12629/2019 (शंकर सिंह सेंगर एवं अन्य बनाम श्री प्रमोद अग्रवाल एवं अन्य) जिसमें स्थायी वर्गीकरण के लाभ स्वरूप न्यूनतम वेतन का लाभ लेने के उपरांत वेतनवृद्धि और नियमितीकरण के अन्य लाभ चाहे गये है।

(2) मैकेनिकल परिक्षेत्र भोपाल

''अजब सिह'' प्रकरण (रिट अपील क्रमांक 1098/2023) जिसमें माननीय न्यायालय ने स्थायी वर्गीकरण के फलस्वरूप जारी किये गये न्यूनतम वेतन के आदेश को नियमितीकरण का आदेश मानते हुये कर्मचारी को पेंशन का लाभ देने के लिये आदेशित किया है।

(3) जबलपुर परिक्षेत्र जबलपुर

रीवा जिले के ''इन्द्र नारायण सिंह'' प्रकरण (रिट पिटीशन क्रमांक 2556/2022 के विरूद्ध दायर होने वाली अपील) समेत 03 अन्य दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के विचाराधीन न्यायालयीन प्रकरण क्रमशः राममिलन पांडे रिट पिटीशन क्रमांक 7624/2022, सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा रिट पिटीशन क्रमांक 9485/2022 एवं कामता प्रसाद मिश्रा रिट पिटीशन क्रमांक 21027/2019, जिनमें माननीय न्यायालय ने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को, पूर्व न्यायालयीन निर्णयों के अनुपालन में दिये गये नियमित वेतनमान के लाभ को कर्मचारियों का नियमितीकरण मानते हुये उन्हें पेंशन देने के लिये आदेशित किया है।

(4)इंदौर परिक्षेत्र इंदौर

''देवेन्द्र ओव्हाल'' प्रकरण (रिट पिटीशन क्रमांक 2484/2020) एवं राजेश भावसार प्रकरण (रिट पिटीशन क्रमांक 8921/2023) जिनमें विभाग द्वारा त्रृटिपूर्ण रूप से दिये गये नियमितीकरण के लाभ को बरकरार रखने के लिये कर्मचारियों द्वारा याचिकायें दायर की गई हैं।''देवेन्द्र ओव्हाल'' प्रकरण में नियमितीकरण आदेश के निरस्तीकरण उपरांत माननीय उच्च न्यायालय को सूचना देने के लिये दायर होने वाले प्रकरण के ड्राफ्ट में भी इन निर्णयों का उल्लेख आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त आपको निदेर्शित किया जाता है कि आप अपने परिक्षेत्र/मंडल/खंड के अधीनस्थ विचाराधीन एवं भविष्य में दायर करने होने वाले न्यायालयीन प्रकरणों की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करें एवं जहाँ भी आप यह पायें कि उक्त निर्णय शासन हित में उपयोग किया जा सकता है तो इसे शासकीय अधिवक्ता के संज्ञान में आवश्यक रूप से लाकर इनका इस्तेमाल प्रतिरक्षण में करने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार न्यायालयीन निर्णय

प्रमुख अभियंता

पृ.क्रमांक 15961/विधि/प्र.अ./लोस्वायांवि./2023 भोपाल, दिनांक 22/12/2023

प्रतिलिपि :-

प्रमुख सचिव महोदय, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख अभियंता

ITEM NO.1501 COURT NO.11 SECTION IV-C

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS

Petition(s) for Special Leave to Appeal (C) No(s). 10519/2020

(Arising out of impugned final/interim judgment and order dated 13-02-2020 in WA No. 20/2020 passed by the High Court Of M.P. Principal Seat At Jabalpur)

VIBHUTI SHANKAR PANDEY Petitioner(s)

VERSUS

THE STATE OF MADHYA PRADESH & ORS. Respondent(s)

Date : 08-02-2023 This petition was called on for pronouncement of judgment today.

For Petitioner(s)
Mr. Ajay Choudhary, AOR

For Respondent(s)
Mr. Sunny Choudhary, AOR

Hon'ble Mr. Justice Sudhanshu Dhulia pronounced the judgment of the Bench comprising Hon'ble Mr. Justice S. Ravindra Bhat and His Lordship.

Leave granted.

The appeal is dismissed in terms of the signed judgment, which is placed on the file.

Pending application(s), if any, stand disposed of.

(NIRMALA NEGI)
COURT MASTER (SH)

(KAMLESH RAWAT)
COURT MASTER (NSH)

Signature Not Verified
Digitally signed by NIRMALA NEGI
Date: 2023.02.08 16:38:39 IST
Reason: